

प्यारे बच्चो!

यदि कोई आपको अनुचित ढंग से स्पर्श करे और यह स्पर्श आपको अच्छा न लगे तो, आप चुप न रहें। आप

1. स्वयं को इसका दोष न दें;
2. इस बारे में किसी ऐसे व्यक्ति को बताएँ जिस पर आप भरोसा करते हों;
3. आप **पॉक्सो ई.बॉक्स** के माध्यम से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी इस बारे में सूचित कर सकते हैं।

जब आपको कोई अनुचित ढंग से स्पर्श करता है तो आपको बुरा लग सकता है, आप बुविषाग्रस्त और असहाय अनुभव कर सकते हैं। आपको "बुरा" अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको गलती नहीं है।



पॉक्सो ई.बॉक्स NCPDR@gov.in पर उपलब्ध है।



यदि आपकी आयु 18 वर्ष से कम है और आप मुसीबत में हैं अथवा बुविषाग्रस्त हैं अथवा आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया है अथवा संकट में हैं अथवा किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं...

1098 पर कॉल करें...क्योंकि कुछ अच्छे नंबर जीवन बदल देते हैं।



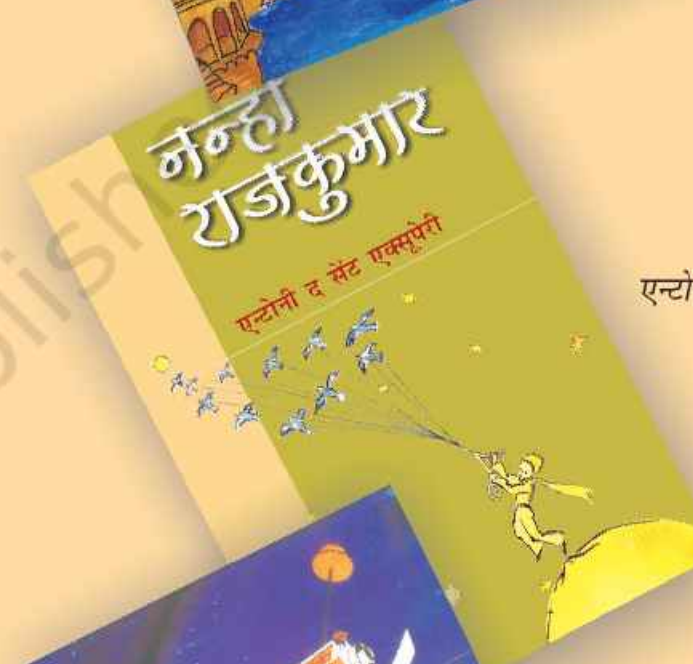
चाइल्ड लाइन 1098 - विपत्ति में बच्चों के लिए 24 घंटे निःशुल्क राष्ट्रीय आपातकालीन फ़ोन सेवा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से चाइल्ड लाइन इंडिया फ़ाउंडेशन की पहल है।



तारा की अलवर यात्रा

प्रज्ञा

रु. 65.00/ पृष्ठ 60 / 2008



नन्हा राजकुमार

एन्टोनी द सेंट एक्सूपेरी, अनुवाद - देवी प्रसाद

रु. 65.00 पृष्ठ 80/2007



उपग्रह उवाच

मणीशचन्द्र उत्तम, गीता कुमारी

रु. 14.50 पृष्ठ 108/2007

अधिक जानकारी के लिए कृपया www.ncert.nic.in देखिए अथवा कॉपीराइट पृष्ठ पर दिए गए पत्तों पर व्यापार प्रबंधक से संपर्क करें।